

फर्द अहकाम

भौरीवाल

बनाम रोमेश उर्फ रोशन

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्ती

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 11/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
14 ⁰³ / ₂₀₁₂		<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष हाजिर। प्रार्थन पत्र पर वदल हुयी गई। प्रार्थन पत्र पर दौरान वदल प्रार्थी ने जाहिर कि प्रार्थी विवाहित आराजियत का रिकार्ड्ड एवं कार्रिज कास्तकार है। अप्रार्थी द्वारा विवाहित आराजियत पर गीव लुटाइ का पुक्ता निर्माण दिखे जाने का प्रमाण प्रिया जा रहा है अप्रार्थी ने दौरान वदल जाहिर किया की विवाहित आराजियत पर से लेवनी हुई काखदी खगी है, अप्रार्थी द्वारा उस पर निर्भर कार्य दिख जा रहा है। विवाहित आराजियत पर कोई हस्तक्षेप अप्रार्थी द्वारा नहीं किया जा रहा है। वदल के दौरान जाहिर</p>

लगाएँ एवं चक्रवर्ती पर आदेश
 निर्माण के अन्तर्गत पर
 हम यह पाते हैं कि प्रती
 विवादित भूमि का निर्माण एवं
 कारिज कारतकार है यदि अपार्थ
 द्वारा विवादित आशागिर पर
 निर्माण कार्य किया है प्रती
 को अपूर्ण अति कारित होने की
 जमानत के सुविध्य का अनुदान
 भी प्रती के पक्ष में सिद्ध है।
 यह तथ्य भी स्पष्ट है कि विवादित
 आशागिर एवं उसके साथ लगती
 हुई आबादी भूमि के प्रत्य सीमा
 का विवरण विषय जग आदेशों

अतः प्रती का प्रतीक पर आदेशों
 कप से खींचा किया अन्तर् प्रती
 को आदेशों किया जाता है कि
 आदेशों की दिशा से यह सप्ताह
 में विवादित भूमि के सीमाज्ञान
 हेतु तहसील तुंगा में विधिपर
 आवेदन करें/ तहसील तुंगा
 आवेदन के दो सप्ताह में सीमाज्ञान
 कर रिपोर्ट पेश करें।

सीमाज्ञान होने पर अपार्थ
 प्रती विवादित आशागिर की
 सीमा में दखल कंदाजी करने का

क्रम संख्या

विभाग आदेश या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप में

नहीं करने हेतु चाकड़ रहेगा।
सीमाशान होने तक उनमें पक्ष
मौके की व्यवस्था के दृष्ट कक्ष
विगत रखेगा की भारत के
अतिरिक्त मौके पर कोई
गतिविधि नहीं करेगा।

सीमाशान के पश्चात् ता (कक्षक)
पक्ष कक्षकी विद्यमान समस्या
पर मौके की व्यवस्था बनाए
रखे हेतु चाकड़ रहेगा।

कक्षा के व्यक्तियों के
सुझावों का

पत्रावली के अंतर्गत सुझाव देकर
मार्ग ले का है।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
राज्य विभाग-जयपुर